*332. *[The questioner (Shri K.B. Krishna Murthy) was absent. For answer vide page 43.]*

जनपद गौतम बुद्ध नगर में मासिक किराया और नि:शुल्क कॉलें

*333. **श्री रमा शंकर कौशिक:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्राम थापरखेड़ा, अम्बेडकर नगर और जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टेलीफोन एक्सचेंज क्षमता के आधार पर तय किए गए मासिक किराए और नि:शुल्क कॉलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) टेलीफोन एक्सचेंज क्षमता के आधार पर इस क्षेत्र के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में उच्च और निम्न कॉल सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरभाष केन्द्र द्वारा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए सीमा निर्धारण संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी में दर्शाये गए वर्गीकरण का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

ग्राम थापरखेड़ा के लिए तय किए गए मासिक किरायें और नि:शुल्क कॉलों का ब्यौरा निम्नवत है:

(i)	मासिक किराया	:	250 रु॰ प्रति माह
(ii)	नि:शुल्क कॉल	:	75 कॉल प्रति माह

स्थानीय प्राधिकारियों के अनुसार जनपद गौतम बुद्ध नगर में 'अम्बेडकर नगर' नामक कोई स्थान नहीं है।

ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए अखिल भारतीय प्रशुल्क (मासिक किराया और कॉल प्रभार) जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी लागू हैं जो विवरण I में दर्शाए गए अनुसार है।

01.02.2001 से निम्न और उच्च कॉल सीमाओं के अंतर्गत शहरी उपभोक्ताओं का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है। तथापि, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया था। इस समय प्रशुल्क ग्रामीण और शहरी वर्गीकरण तथा एक्सचेंज क्षमता पर आधारित है।

भारतीय जनगणना कार्यालय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का सीमा निर्धारण भारत के योजना आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार करता है। इस प्रकार का सीमा निर्धारण टेलीफोन

एक्सचेंजों की क्षमता के अनुसार नहीं किया जाता है। तथापि, जनपद गौतम बुद्ध नगर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे संपूर्ण क्षेत्रों को प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं से शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

टेलीफोन डायरेक्ट्रियां गौण स्विचन क्षेत्रवार मुद्रित की जाती हैं जिनमें गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) के सभी टेलीफोन नंबर होते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरियों में क्षेत्रों का वर्गीकरण नहीं दर्शाया जाता।

विवरण-I

		ग्रामीण
1.	किराया प्रभार (मासिक) (एक्सचेंज - प्रणाली क्षमता पर आधारित)	
(i)	1000 लाइनों से कम क्षमता वाली एक्सचेंज प्रणाली	50 रु॰
(ii)	1000 और उससे अधिक लाइनों की परंतु 30000 लाइनों से कम क्षमता वाली एक्सचेंज प्रणाली	110 रु॰
(iii)	30000 और उससे अधिक लाइनों की परंतु 100000 लाइनों से कम क्षमता वाली एक्सचेंज प्रणाली	150 रु॰
(iv)	100000 और उससे अधिक लाइनों की क्षमता वाली एक्सचेंज प्रणाली	210 रु॰

टिप्पणी: ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एउक्सचेंज प्रणाली क्षमता वही संबद्ध एक्सचेंज प्रणाली क्षमता है जो 15.8.1998 से पहले विद्यमान थी अर्थात् जो स्थानीय कॉल क्षेत्र के स्थानीय कॉलों के प्रयोजन हेतु कम दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) के साथ को टर्मिनस होने से पूर्व थी। इसके कार्यान्वयन की तारीख अर्थात् 1.5.1999 के बाद एक्सचेंज की क्षमता में किसी प्रकार के संवर्धन को टैरिफ के प्रयोजन हेतु पुन: वर्गीकरण के लिए स्वत: ही ध्यान में रखा जाएगा।''

2.	कॉल प्रभार तथा नि:शुल्क कॉलें (मासिक)	
(i)	कालों की संख्या 0 से 125	नि:शुल्क
(ii)	कालों की संख्या 125 से 225	0.60 रु॰
(iii)	कालों की संख्या 226 से 250	0.80 रु॰
(iv)	कालों की संख्या 251 से 500	1.00 रु॰
(v)	कालों की संख्या 500 से अधिक	1.20 रु॰

Monthly rental and free calls in Distt. Gautam Budh Nagar

†*333. SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) the monthly rental and free calls fixed on the basis of telephone exchange capacity for village Thaparkhera, Ambedkar Nagar and rural areas of district Gautam Budh Nagar;

(b) the higher and lower calls limit for rural and urban areas on the basis of telephone exchange capacity;

(c) the details for the demarcation of limits for rural and urban areas by the telephone exchange; and

(d) the details of the classification shown in the telephone directory for the rural areas?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The monthly rental and free calls fixed for village Thaparkhera are as under:

(i)	Monthly rental	: Rs. 250 per month.
(ii)	Free calls	: 75 calls per month.

There is no place named as 'Ambedkar Nagar' in District Gautam Budh Nagar, as per local authorities.

The all India tariff (monthly rental and call charges) for rural subscribers is also applicable to rural areas of District Gautam Budh Nagar, which is as per the Statement-I enclosed.

The categorization of urban subscribers under low and high calling limits has been withdrawn w.e.f. 01-02-2001. For rural subscribers, however, there was no such categorization. At present tariff is based on rural and urban classification and the exchange capacity.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

The demarcation of the areas as urban and rural is done by the Census of India based on the guidelines laid down by the Planning Commission of India. The telephone exchanges have no role to play in such demarcation. However, the entire areas like Noida and Greater Noida in District Gautam Budh Nagar are categorized as urban area on account of administrative and technical considerations.

The Telephone Directories are printed SSA-wise containing all the telephone numbers of the Secondary Switching Area (SSA). Classification of the areas is not shown in the telephone directories.

Statement-I

1. **Rental charges (Monthly):**
(based on Exchange-System Capacity)

(i)	Exchange System Capacity of less than 1000 lines	Rs. 50
(ii)	Exchange System Capacity of 1000 lines and above but below 30000 lines	Rs. 110
(iii)	Exchange System Capacity of 30000 lines & above but below 100000 lines	Rs. 150
(iv)	Exchange System Capacity of 100000 lines & above	Rs. 210

NOTE: Exchange System Capacity for rural subscribers is the relevant exchange system capacity as existed prior to 15-8-1998, *i.e.* before the local call area became co-terminus with the Short Distance Charging Area (SDCA) for purpose of local calls. Any augmentation of the exchange capacity after the date of its implementation *i.e.* 1.5.1999, shall automatically be taken into account for reclassification for purpose of tariffs.

2. **Call charges & Free calls (Monthly):**

(i)	Number of calls from 0 to 125	Free
(ii)	Number of calls from 126 to 225	Rs. 0.60
(iii)	Number of calls from 226 to 250	Rs. 0.80
(iv)	Number of calls from 251 to 500	Rs. 1.00
(v)	Number of calls more than 500	Rs. 1.20

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, आपकी अनुमति से और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विभाग के बारे में पूरी जानकारी, जो मैंने चाही थी, दी है, लेकिन, श्रीमन्, इसमें एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है कि ग्राम थापरखेड़ा में जो मासिक किराया ये ले रहे हैं, वह 250 रुपए प्रतिमाह है और उसमें प्रतिमाह 75 कालें नि:शुल्क कर रहे हैं जबकि इन्होंने अपने अनुबंध ''क'' में दिया है कि एक लाख से अधिक लाइनों की क्षमता वाली एक्सचेंज प्रणाली में मासिक किराया 210 रुपए है, तो थापरखेड़ा में 250 रुपए कैसे हैं? इसी के साथ-साथ कालों की संख्या 0 से 125 तक नि:शुल्क इन्होंने बताई हैं अनुबंध ''क'' में, लेकिन थापरखेड़ा गांव में केवल 75 नि:शुल्क काल इन्होंने दिखाई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह विरोधाभास कैसे है और इसके पीछे क्या रहस्य है?

श्री प्रमोद महाजन: सभापति जी, चूंकि थापरखेड़ा ग्रामीण इलाके में नहीं आता है, शहरी इलाके में आता है।

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति जी, अनुबंध ''क'' में इन्होंने मासिक किराया प्रभार दिया है सभी एक्सचेंजों के संबंध में और ऐक्सचेंज की जो इन्होंने सीमा बांधी है, वह लाइनों से बांधी है। एक लाख से ऊपर की जिस ऐक्सचेंज की क्षमता है ....(**व्यवधान**)

श्री प्रमोद महाजन: सभापति जी, माननीय सदस्य अगर अनुबंध ''क'' को गौर से देख लें तो देखेंगे कि उसके ऊपर ''ग्रामीण'' लिखा है। इसलिए अनुबंध ''क'' केवल ग्रामीण इलाके से संबद्ध है और ग्रामीण इलाके में अगर उतनी क्षमता हो तो 210 रुपए है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अनुबंध ''क'' ग्रामीण इलाके के बारे में बात करता है और यह थापरखेड़ा शहरी इलाके में है, जो अब ग्रेटर नोएडा में डाला गया है, जो 109 गांव उसमें डाले गए हैं, उनमें यह भी है। स्वाभाविक रूप से अब वह शहरी क्षेत्र में आ गया है, इसलिए शहरी क्षेत्र का जो 250 रुपए किराया है, वह उसको देना पड़ेगा।

SHRIMATI S.G. INDIRA: I would like to know whether the Goverment is aware that even today, some remote villages are not provided with telephone connections. What action is the Government going to take to provide telephone connections to these remote areas? What steps does the Government intend to take to attain self-sufficiency in providing telephonic connections in the rural areas?

श्री प्रमोद महाजन: सभापति जी, इस देश में लगभग 6 लाख गांव हैं, जिनमें से 5 लाख गांव तक कम से कम विलेज पब्लिक टेलीफोन के द्वारा टेलीफोन पहुंचे हैं, 90,000 के करीब ऐसे गांव हैं जहां तक हम पहुंचे नहीं हैं, उनमें भी 20,000 गांव ऐसे होंगे जहां सेटेलाइट प्रणाली के अलावा पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है, जो महंगा है, उस पर सरकार विचार कर रही है। 70,000 गांव ऐसे है जो मूलत: निजी क्षेत्र को पूर्ण करने थे, उनमें से 50,000 गांव, कुछ नार्थ-ईस्ट के थे, कुछ

जम्मू-कश्मीर के थे बचे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि 2003 के अंत तक लगभग, सेटेलाइट का अभी कहना मुश्किल है क्योंकि वह बहुत महंगी होगी, खर्चा भी ज्यादा आएगा, लोग उपयोग भी नहीं करेंगे, इसलिए सेटेलाइट को छोड़कर जो बचे हुए गांव हैं, उस हर गांव में कम से कम एक विलेज पब्लिक टेलीफोन पहुंच जाएगा।

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, in our country, both in the rural and the urban areas, there are a lot of senior citizens who have income which is below the taxable income. I want to know from the hon. Minister whether his Ministry is considering any proposal to give concessions to such senior citizens.

श्री प्रमोद महाजन: सभापति महोदय, जहां तक टेलीफोन के उपयोग का सवाल है, उसका आयु से कोई संबंध जोड़ना कठिन होगा। सीनियर सिटिजंस का आदर करते हुए अगर मैं कहूं कि उनके लिए और सस्ता कर दूंगा तो वे दिन भर टेलीफोन पर ही लगे रहेंगे। इसलिए यह सुझाव व्यावहारिक नहीं है।

गन्ना उत्पादकों की नि:सहाय स्थिति

*334. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चीनी के कारखानों द्वारा पिराई शुरू न किए जाने, गन्ने के मूल्य की घोषणा न किए जाने और किसानों को बकाया राशियों का भुगतान न किए जाने के कारण हताश किसान गन्ने के खेतों को आग लगाने के लिए मजबूर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि समुचित ध्यान न दिए जाने के कारण खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं और किसानों को दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (ग) उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा गन्ना को जलाए जाने की रिपोर्ट कुछ समाचार पत्रों में छपी हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों के